इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15]		भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 जनवरी 2024—पौष 29, शक 1945

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 19 जनवरी 2024

फा. क्र. 305—2024—इक्कीस—ब(दो).— राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्रदेश के जबलपुर, अशोकनगर, सीहोर एवं खण्डवा जिले के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा प्रेषित प्रस्ताव संलग्न सूची के अंतर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों को जिला पंचायत सदस्य निर्वाचन का कार्य संपन्न कराये जाने हेतु विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है, और उन्हें उक्त कार्य के लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां अधिसूचना जारी होने के दिनांक से मतदान प्रक्रिया समाप्त होने तक के लिए प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धर्मपाल सिंह सिवाच, सचिव.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

निर्वाचन भवन, 58, अरेरा हिल्स, भोपाल–462011

क्र. एफ–37–PN–02–2023–तीन–443 भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2023

प्रति,

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी
(स्थानीय निर्वाचन)
जिला–जबलपुर, अशोकनगर, सीहोर एवं खंडवा
मध्य प्रदेश।

विषय : जिला पंचायत सदस्य जबलपुर, अशोकनगर, सीहोर एवं खंडवा के रिक्त पद की पूर्ति हेतु निर्वाचन कार्यक्रम (समय–अनुसूची)।

संदर्भ : आयोग का पत्र क्रमांक एफ–35/PN–01/2023/तीन/18–20, दिनांक 24/01/2023

*****

1. कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। आयोग के संदर्भित पत्र के अनुक्रम में समस्त जिलों द्वारा पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची दिनांक 01 जनवरी, 2023 की संदर्भ तिथि के आधार पर तैयार कर उसका अंतिम प्रकाशन दिनांक 12 मई, 2023 को किया जा चुका है। अब जिला पंचायत सदस्य, जबलपुर, अशोकनगर, सीहोर एवं खंडवा के रिक्त पद की पूर्ति हेतु निर्वाचन भी इसी मतदाता सूची के आधार पर कराये जायेंगे।

2. जिला पंचायत सदस्य जबलपुर, अशोकनगर, सीहोर एवं खंडवा के रिक्त पद की पूर्ति हेतु आयोग द्वारा मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम, 28 के अंतर्गत निर्वाचन कार्यक्रम (समय–अनुसूची) का निर्धारण कर दिया गया है। यह कार्यक्रम संलग्न परिशिष्ट–एक में दिया गया है। जिलों से प्राप्त रिक्त पदों की जानकारी परिशिष्ट–दो पर संलग्न है।

3. मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम–28 के अंतर्गत यथास्थिति प्ररूप–3 में, जिला पंचायतों के लिये निर्वाचन की सूचना जारी की जाए, जिनमें जिला पंचायत सदस्यों का निर्वाचन होना है।

4. निर्वाचन की सूचना (प्ररूप–3) के साथ –

   (i) नियम–29क के अंतर्गत प्ररूप–3ख में स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना,

   (ii) नियम–23(1) की अपेक्षा के अनुसार मतदान केन्द्रों की सूची, का भी प्रकाशन किया जाये।

5. ऐसी पंचायतों/पदों के निर्वाचन की सूचना प्रकाशित न की जाए जिसके निर्वाचन की कार्यवाही किसी न्यायालयीन आदेश के अंतर्गत स्थगित की गई हो अथवा जिसके निर्वाचन न कराये जाने के संबंध में आयोग द्वारा पृथकशः आदेश जारी किया गया हो ।

6. जिला पंचायत सदस्य,जबलपुर, अशोकनगर, सीहोर एवं खंडवा का निर्वाचन ई.व्ही.एम. से कराया जायेगा।

7. निर्वाचन के संचालन की सभी कार्यवाहियाँ मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 तथा आयोग द्वारा समय–समय पर प्रसारित निर्देशों के अनुसार की जाए ।

8. चुनाव में मतदाता को "इनमें से कोई नहीं (नोटा)" का विकल्प दिया जाये। इस हेतु मतपत्र एवं बैलेट यूनिट में अंतिम अभ्यर्थी के पश्चात "इनमे से कोई नहीं (नोटा)" अंकित किया जाये और उसके सामने उसका प्रतीक (X) (गुणा का निशान कोष्टक रहित) भी दर्शाया जाए।

9. जिला पंचायत सदस्य के पद हेतु नाम निर्देशन पत्र प्ररूप–4 में अभ्यर्थियों से प्राप्त किये जाये।

10. नाम निर्देशन पत्र शनिवार को भी प्राप्त किये जायेंगे।

11. निम्नलिखित निर्देशों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए :–

11.1 जिला पंचायत सदस्य के प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने नाम निर्देशन–पत्र के साथ एक शपथ–पत्र एवं उसके साथ "शपथ–पत्र का सार" प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

11.2 मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा–36 में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंचायत के शोध्यों की बकाया वसूली के संबंध में पंचायत निर्वाचन के लिए जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थियों को अपने नाम–निर्देशन पत्र के साथ पंचायत को देय समस्त शोध्यों का "अदेय प्रमाणपत्र" प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11.3 मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 36(1)(गघ) में जोड़े गये विद्युत बिलों की बकाया वसूली के संबंध में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंचायत निर्वाचन के लिए जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थियों को अपने नाम निर्देशन–पत्र के साथ मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी या उसकी उत्तरवर्ती कम्पनियों को देय समस्त शोध्यों का "अदेय प्रमाण–पत्र" प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11.4 त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु आरक्षित पद से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी से यह अपेक्षा रहेगी कि वह नामनिर्देशन–पत्र के साथ मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी शासन द्वारा निर्धारित विहित प्ररूप में जाति प्रमाणपत्र संलग्न करें। यदि अभ्यर्थी के पास नाम निर्देशन पत्र भरते समय जाति प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं है तो अभ्यर्थी को इस वर्ग का सदस्य होने बाबत्, जिसके लिये स्थान आरक्षित है, अपना जाति संबंधी शपथ पत्र नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा प्रारम्भ होने के पूर्व रिटर्निंग आफिसर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करने अथवा आरक्षित वर्ग का सदस्य होने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी का नामनिर्देशन–पत्र निरस्त किया जायेगा।

11.5 मतदान केन्द्र पर पीठासीन अधिकारियों द्वारा उपयोग किये जाने वाले प्ररूप, प्रपत्र और परिशिष्ट को समेकित करते हुए आयोग द्वारा "पी ओ बुकलेट" एवं "पी ओ लीफलेट" जारी की गई है। मतदान केन्द्रों पर अब पी ओ बुकलेट एवं पी ओ लीफलेट का प्रयोग किया जाये।

11.6 आयोग के पत्र क्रमांक एफ–38–01/2016/तीन/395, दिनांक 05/11/2016 द्वारा पंचायतों के निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची (प्ररूप–8क, 8ख, 8ग, 8घ) में वर्णक्रम निर्धारण हेतु विहित प्रक्रिया के साथ अभ्यर्थी से उसके नाम की अंग्रेजी स्पेलिंग प्राप्त करने के लिए परिशिष्ट–1 प्राप्त करने के निर्देश थे। आयोग के आदेश क्रमांक एफ–38–01/2016/तीन/328, दिनांक 02/07/2018 द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने के लिए नवीन प्ररूप–4 निर्धारित किया गया है। नवीन प्ररूप–4 की कंडिका–18 में अभ्यर्थी के नाम की अंग्रेजी स्पेलिंग प्राप्त किया जाना प्रावधानित किया गया है। नवीन नाम निर्देशन प्ररूप–4 का उपयोग किये जाने पर परिशिष्ट–1 (अंग्रेजी में नाम प्राप्त करना) और मिलानसूची (चेकलिस्ट) की आवश्यकता समाप्त हो गई है। अतः परिशिष्ट–1 और मिलान सूची का उपयोग अब नहीं किया जायेगा।

11.7 निर्वाचन की सूचना जारी किये जाने से लेकर निर्वाचन परिणाम की घोषणा किये जाने तक की समस्त प्रक्रियाएँ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित ऑन लाईन एप्लिकेशन IEMS **(Integrated Election Management System)** के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करें।

12. निर्विरोध निर्वाचन के मामले में प्ररूप–24 में निर्वाचित होने की घोषणा की प्रति तथा सविरोध निर्वाचन के मामले में (मतपेटी से निर्वाचन होने की स्थिति में प्ररूप–23 में) या (ई.व्ही.एम. से निर्वाचन होने की स्थिति में प्ररूप–23क में) (जैसी भी स्थिति हो) की विवरणी की प्रति सुरक्षित रखी जाए, आवश्यकता होने पर आयोग को उपलब्ध कराई जाए।

13. निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित ग्राम पंचायत/निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड के क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गयी है, जो निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि तक प्रभावशील रहेगी।

14. त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन से संबंधित संशोधन/आदेश/परिपत्र/निर्देश आयोग की वेबसाइट *www.mplocalelection.gov.in* से भी डाउनलोड कर सकते हैं।

15. कृपया इस पत्र की प्राप्ति की अभिस्वीकृति ई–मेल द्वारा भेजी जाए।

संलग्न :– परिशिष्ट–एक एवं दो

(अभिषेक सिंह)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

संशोधित आदेश

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2024

परिशिष्ट–1

क्रमांक–एफ–37/PN–02/2023/तीन/::09 मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा–42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा धारा–9(2)(क) एवं मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 28 की अपेक्षा अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा जिला जबलपुर, अशोकनगर, सीहोर एवं खंडवा के जिला पंचायत सदस्य के रिक्त पद की पूर्ति हेतु निम्नानुसार समय–अनुसूची (संशोधित कार्यक्रम) विहित करता है :–

स.क्र.	कार्यवाही	नियम	निर्धारित तारीख़	दिन और समय
1.	(i) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन तथा नामनिर्देशन पत्र प्राप्त करना	28, 29	30/12/2023	कार्यवाही पूर्ण
	(ii) स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन	29–क		
	(iii) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन	23		
2.	नामनिर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख़	28(क)	06/01/2024	प्रातः 10:30 बजे से अपरान्ह 3:00 बजे तक (शनिवार)
3.	नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जाँच)	28(ख)	08/01/2024	प्रातः 10:30 बजे से (सोमवार)
4.	अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख़	28(ग)	10/01/2024	अपरान्ह 3:00 बजे तक (बुधवार)
5.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना तथा निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन	38,39	10/01/2024	अभ्यर्थिता से नाम वापसी के ठीक बाद (बुधवार)
6.	मतदान (यदि आवश्यक हो)	28(घ)	27/01/2024	प्रातः 7:00 बजे से अपरान्ह 3:00 बजे तक (शनिवार)
7.	मतगणना, सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा	28(ड.), 28(च)		–
	(i) जिला पंचायत सदस्य की विकासखण्ड मुख्यालय पर ई.व्ही.एम. से की जाने वाली मतों की गणना।	–	30/01/2024	प्रातः 8:00 बजे से (मंगलवार)
	(ii) जिला पंचायत सदस्य पद के लिये मतों का विकासखण्ड स्तरीय सारणीकरण।	–	30/01/2024	प्रातः 10:30 बजे से (मंगलवार)
	(iii) जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का जिला मुख्यालय पर सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा।	–	31/01/2024	प्रातः 10:30 बजे से (बुधवार)

परिशिष्ट–दो

जिला पंचायत सदस्यों के रिक्त पद की जानकारी

स.क्र.	जिला	रिक्त जिला पंचायत सदस्य की संख्या	निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक /वार्ड का क्रमांक
1.	जबलपुर	1	7
2.	अशोकनगर	1	5
3.	सीहोर	1	8
4.	खंडवा	1	2
	योग	4	

टीपः–कृपया उक्त जानकारी को अनिवार्यतः वेरिफाई एवं अपडेट करना सुनिश्चित करें।

आदेश से,
हस्ता./–
(अभिषेक सिंह)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

निर्वाचन भवन, 58, अरेरा हिल्स, भोपाल

संशोधित आदेश

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2023

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), जबलपुर

क्र. 412—स्था.निर्वा.—2024

जबलपुर, दिनांक 12 जनवरी 2024

[illegible] राजस्व संवर्ग के अतिरिक्त विहित अन्य सेवाओं के निम्नांकित [illegible] को विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किये जाने हेतु प्रस्ताव सादर प्रेषित।

क्र.	जनपद पंचायत का नाम	प्रस्तावित जोनल/सेक्टर अधिकारी का नाम	जोनल/सेक्टर अधिकारी का [illegible]	जोनल/सेक्टर अधिकारी का पद	जोनल/सेक्टर अधिकारी का पदस्थापना स्थल
1.	कुण्डम	श्री केशव [illegible]	7974899238	एस.डी.ओ.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग कुण्डम
2.		श्री आनंद [illegible] तिवारी	9425861750	सहा. यंत्री	रोजगार [illegible] [illegible] कुण्डम
3.		श्री [illegible]	8874419691	कार्यपालन यंत्री	[illegible] डिवीजन [illegible] कुण्डम
4.		श्री [illegible]	9826154029	एस.डी.ओ.	[illegible] विभाग कुण्डम
5.		श्री महेश चंद [illegible]	7828879431	रेंजर	वन विभाग कुण्डम
6.		कुमारी [illegible] पटेल	7089294190	सहायक प्रबंधक	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कुण्डम
7.	कुण्डम [illegible]	श्री [illegible]	9301922761	उपयंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग कुण्डम
8.		श्री [illegible] सिंह [illegible]	7869158727	एस.डी.ओ.	[illegible] विभाग कुण्डम
9.		श्री ए.के. सिन्हा	9755413544	खण्ड शिक्षा अधिकारी	जनपद शिक्षा केन्द्र कुण्डम
10.		श्री [illegible] गुप्ता	—	एस.ए.डी.ओ.	कृषि विभाग कुण्डम

अपर कलेक्टर

एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी

(स्थानीय निर्वाचन), जबलपुर

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश

क्र. स्था.उप.निर्वा.–2023–186 अशोकनगर, दिनांक 12 जनवरी 2024

जिला पंचायत सदस्य उप निर्वाचन 2023 निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 05 (जनपद पंचायत ईसागढ़) के लिए निर्वाचन शान्तिपूर्ण, निर्विघ्न सम्पन्न कराने के लिए सेक्टर अधिकारियों की नियुक्ति की जाना है। उक्त अधिकारियों को मतदान सम्पन्न कराने के दौरान विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदाय की जाना है। विवरण निम्नानुसार है :–

क्रं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	विभाग
1	श्री सोहन अग्रवाल	प्रबंधक	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विकास योजना अशोकनगर
2	श्री अशोक अहिरवार	कार्यपालन यंत्री	जल संसाधन विभाग अशोकनगर
3	श्री दीपक नामदेव	प्रबंधक	एम.पी.आर.डी.सी. अशोकनगर
4	श्री खैर सिंह केन,	उप संचालक	कृषि विभाग अशोकनगर
5	श्री पी.एस. बरोटिया	प्र.उपायुक्त	सहकारिता विभाग अशोकनगर
6	श्री नवल सिंह भूरिया	कार्यपालन यंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अशोकनगर
7	श्री नीरज शुक्ला	जिला शिक्षा अधिकारी	जिला शिक्षा विभाग अशोकनगर
8	श्री राहुल शर्मा	जिला परियोजना समन्वयक	जिला शिक्षा केंद्र अशोकनगर
9	श्री बी.एस. सुमन	अनुविभागीय अधिकारी	लोक स्वास्थ्या यांत्रिकी विभाग अशोकनगर
10	श्री राजेन्द्र बाथम	पशु चिकित्सा अधिकारी	पशु चिकित्सालय नईसराय
11	श्री अरविन्द खरे	पशु चिकित्सा अधिकारी	पशु चिकित्सालय ईसागढ
12	श्री बी.के. माथुर	प्रबंधक	पी.आई.यू. अशोकनगर
13	श्री आर.एस. गुर्जवार	प्र. सहायक यंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग उपखण्ड मुंगावली
14	श्री अशोक कुमार अहिरवार	कार्यपालन यंत्री	जल संसाधन विभाग अशोकनगर

आदेश से,
हस्ता./–
(सुभाष कुमार द्विवेदी)
कलेक्टर,
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

क्र. 63–स्था.निर्वा.–जि.पं.स.निर्वा.–2023–24 सीहोर, दिनांक 8 जनवरी 2024

प्रपत्र–एक

जिला पंचायत सदस्य के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निर्वाचन 2023–24 के लिए संबंधित क्षेत्र जिला पंचायत सदस्य के वार्ड क्रमांक–08 जनपद पंचायत आष्टा, जिला सीहोर हेतु कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रदान किये जाने वाले अधिकारियों की सूची :–

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम, मो.नं.	विभाग का नाम	संबंधित क्षेत्र	संलग्न मतदान केन्द्र
01	श्री एस.ए. सिद्दिकी, परियोजना यंत्री मो.नं. [illegible]	लोक निर्माण विभाग (पी.आई.यू.) सीहोर	जिला पंचायत सदस्य के वार्ड क्रमांक 08 आष्टा	11
02	श्री राहुल [illegible], अनुविभागीय अधिकारी मो.नं. [illegible]015372	जल संसाधन विभाग सीहोर		12
03	श्री [illegible], महाप्रबंधक मो.नं. [illegible]	म.प्र. सड़क विकास प्राधि. सीहोर		11
04	श्री प्रशांत बामनकर, जिला विपणन अधिकारी मो.नं. 7441131855	विपणन विभाग सीहोर		05
05	श्री [illegible] नागर, सहायक संचालक मो.नं. 9425129407	उद्यानिकी विभाग सीहोर		06
06	श्री [illegible] सक्सेना, कार्यपालन यंत्री मो.नं. [illegible]886699	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सीहोर		07
07	श्री दीपक चौकसे, कार्यपालन यंत्री मो.नं. [illegible]29762943	जल संसाधन विभाग सीहोर		07
08	श्री एस.के. जैन, कार्यपालन यंत्री मो.नं. 9425365442	लोक निर्माण विभाग सीहोर		05
09	श्री आर.एन. गुप्ता, कार्यपालन यंत्री मो.नं. 9424445741	लोक निर्माण विभाग (पी.आई.यू.) सीहोर		06
10	श्री [illegible] यादव, उप संचालक मो.नं. [illegible]1494970	सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग सीहोर		12
11	श्री [illegible] शर्मा, उपयंत्री मो.नं. [illegible]168302	जल संसाधन विभाग सीहोर		रिजर्व
12	श्री [illegible] प्रताप सिंह, अनुविभागीय अधिकारी मो.नं. [illegible]	लोक निर्माण विभाग सीहोर		रिजर्व
13	श्री [illegible], उप पंजीयक मो.नं. [illegible]	सहकारिता विभाग सीहोर		रिजर्व

अतः उपरोक्त सेक्टर अधिकारियों को विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान करने का कष्ट करें।

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी,
जिला सीहोर (म.प्र.)

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, (स्थानीय निर्वाचन), जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

क्र. 64—स्था.निर्वा.—जि.पं.स.उ.नि.—2023—24 सीहोर, दिनांक 8 जनवरी 2024

—::: आदेश ::: —

जिला पंचायत सदस्य सीहोर के वार्ड क्रमांक 08 के रिक्त पद की पूर्ति हेतु निर्वाचन कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नानुसार अधिकारियों को सेक्टर ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। नियुक्त सेक्टर ऑफिसर आवंटित मतदान केंद्रों पर सतत् भ्रमण करते हुए शांतिपूर्वक निर्वाचन कार्य संपादित करायेंगे :—

स. क्र.	सेक्टर क्रमांक	सेक्टर अधिकारी का नाम एवं पदनाम	मतदान केंद्र क्रमांक	सेक्टर में शामिल मतदान केंद्र	कुल मतदान केंद्र
1	1	श्री एम.ए. सिद्धीकी, परियोजना यंत्री, पी.आई.यू. सीहोर	176	मा. शाला अरोलिया आष्टा कक्ष क्रं. 1	11
2			177	मा. शाला अरोलिया आष्टा कक्ष क्रं. 2	
3			112	शा.मा. शा. लसूडियापार कक्ष 1	
4			113	शा.मा. शा. लसुडियापार कक्ष 2	
5			182	शा.मा. शा. पटाडा चौहान	
6			127	उ. मा. वि. खजु. कासम कक्ष क्रं. 1	
7			128	उ. मा. वि. खजु. कासम कक्ष क्रं. 2	
8			129	शा.मा. शा. खजुरियाकासम	
9			130	प्रा. शाला पगारियाहाट	
10			131	हाई स्कूल पगारियाहाट कक्ष 1	
11			132	हाई स्कूल पगरियाहाट कक्ष 2	
1	2	श्री राहुल बामनिया, अ0वि0अ0 जल संसाधन सीहोर	181	पंचायत भवन ई कक्ष पाइलिया	14
2			187	प्रा. शा. शंकरपुर	
3			186	शा.मा.शा. भगवानपुर	
4			174	शा.मा. शा. रिछाडिया	
5			175	शा.मा. शा. गुराडिया सिराजउद्धीन	
6			336	शा.मा.शा. भूफोड कक्ष 1	
7			337	शा.मा.शा. भूफोड कक्ष 2	
8			338	शा.मा.शा. भूफोड कक्ष 3	
9			170	शा.मा. शा. बडोदिया गाडरी कक्ष 1	
10			171	शा.मा. शा. बडोदिया गाडरी कक्ष 2	
11			172	शा.प्रा.शा. श्यामपुरा टप्पा कक्ष 1	
12			173	शा.प्रा.शा. श्यामपुरा टप्पा कक्ष 2	
13			339	मा. शाला हर्राजखेडी कक्ष क्रं. 1	
14			340	मा. शाला हर्राजखेडी कक्ष क्रं. 2	

DSC (विधि) 15.1.2024

1	3	श्री यशवंत सक्सेना, महाप्रबंधक, म0प्र0सड़क विकास प्राधिकरण सीहोर	165	शा. प्रा. शा. दीपलाखेडी	11
2			164	शा. प्रा. शा. मेमदाखेडी	
3			166	शा. मा. शा. सांगाखेडी	
4			162	शा.मा. शा. देवनखेडी	
5			167	शा. मा. शा. लसुडिया विजयसिंह कक्ष 1	
6			168	शा. मा. शा. लसुडिया विजयसिंह कक्ष 2	
7			169	मा. शाला नानकपुर	
8			163	आँगनबाड़ी भवन मोरूखेडी	
9			159	शा.मा. शा. कन्नोदमिर्जी कक्ष 1	
10			160	शा.मा. शा. कन्नोदमिर्जी कक्ष 2	
11			161	शा.मा. शा. कन्नौदमिर्जी कक्ष 3	
1	4	श्री प्रशांत बामनकर, जिला विपणन अधिकारी सीहोर	341	प्रा. शाला खामखेडाजत्रा	5
2			342	उ.मा.वि. खामखेडाजत्रा कक्ष 1	
3			343	उ.मा.वि. खामखेडाजत्रा कक्ष 2	
4			151	शा.मा. शा. बापचाबरामद कक्ष 1	
5			152	शा.मा. शा. बापचाबरामद कक्ष 2	
1	5	श्री राजकुमार सगर, सहायक संचालक, उद्यानिकी सीहोर	350	प्रा. शाला पिपलिया कैलाश	6
2			349	शा.मा.शा. बड़घाटी	
3			345	प्रा. शाला भीलखेडी	
4			351	प्रा. शाला बडलिया बरामद	
5			347	शा.मा.शा. रोलागांव कक्ष 1	
6			348	शा.मा.शा. रोलागांव कक्ष 2	
1	6	श्री प्रवीण सक्सेना, कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सीहोर	344	मा. शाला भवन झरखेडी	7
2			368	शा.मा.शा. किल्लोद	
3			369	प्रा. शाला भवन मगरखेडी	
4			346	मा. शाला खेनियापुरा	
5			372	प्रा. शाला भवन लाखुखेड़ी	
6			371	शा.मा.शा. गुराडिया वाजयापत	
7			370	प्रा. शाला भवन मिठ्ठुपुरा	
1	7	श्री दीपक चौकसे, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग सीहोर	356	शा.मा.शा. जस्सूपुरा	7
2			373	शा.मा.शा. बडखोला कक्ष 1	
3			374	शा.मा.शा. बडखोला कक्ष 2	
4			362	प्रा.शा. नोमंनिया	
5			360	शा.मा.शा. झीकडी मेवाती	
6			361	शा.मा.शा. मनीरामपुरा कक्ष 1	
7			375	उन्नत प्रा.शा. बरखेड़ी	
1	8		185	शा.मा.शा. नवरंगपुर	5

2		श्री एस.के. जैन, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सीहोर	329	प्रा. शाला भौरासा	
3			327	शा.मा.शा. अरनियाराम कक्ष 1	
4			328	शा.मा.शा. अरनियाराम कक्ष 2	
5			326	प्रा. शाला पांगरी	
1	9	श्री आर.एन. गुप्ता, कार्यपालन यंत्री, पी. आई.यू. सीहोर	365	मा. शाला भवन अरनियाजोहरी कक्ष क्रं. 1	5
2			366	मा. शाला भवन अरनियाजोहरी कक्ष क्रं. 2	
3			367	प्रा. शाला भवन देवली	
4			363	हाई स्कूल छापर कक्ष 1	
5			364	हाई स्कूल छापर कक्ष 2	
1	10	श्री महेश यादव, उप संचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग सीहोर	306	शा.मा.शा. बागेर कक्ष 1	12
2			307	शा.मा.शा. बागेर कक्ष 2	
3			308	शा.मा.शा. बागेर कक्ष 3	
4			312	पंचायत भवन भंवरा	
5			313	प्रा. शाला भवन भंवरा	
6			314	उ. मा. वि. पुराना भवन भंवरा कक्ष क्रं. 1	
7			315	उ. मा. वि. पुराना भंवरा कक्ष क्रं. 2	
8			316	आँगनबाड़ी भवन केन्द्र क्रमांक 44 भंवरा	
9			317	ईजीएस प्रा. शा. भवन भंवरा	
10			318	आगनवाडी केंद्र भंवरा	
11			324	शा.मा.शा. भटोनी कक्ष 1	
12			325	शा.मा.शा. भटोनी कक्ष 2	
1		श्री एम.के. शर्मा, उपयंत्री, जल संसाधन विभाग आष्टा जिला सीहोर		रिजर्व	
2		श्री अन्वेष प्रताप सिंह, अ.वि.अ. लो0 नि0 विभाग आष्टा जिला सीहोर		रिजर्व	
3		श्री सुधीर केथवास, उप पंजीयक सहकारी समितियां सीहोर		रिजर्व	

उपरोक्तानुसार नियुक्त सेक्टर ऑफिसर दिनांक 09/01/2024 को प्रातः 09:00 बजे से 01:00 बजे तक स्थान शा0 कन्या महाविद्यालय सीहोर में आयोजित मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण में अनिवार्यतः उपस्थित रहेंगे।

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
(पंचायत) जिला–सीहोर

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, (स्थानीय निर्वाचन), जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश

क्र. 367—2023—स्था.निर्वा.—144 खण्डवा, दिनांक 13 जनवरी 2024

आदेश

म.प्र.राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल का पत्र क्रं. एफ—37/पीएन—02/2023/तीन/443 भोपाल दिनांक 29.12.2023 एवं म.प्र.राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल का पत्र क्रं. एफ—37/पीएन—02/2023/तीन/07 भोपाल दिनांक 03.01.2024 के द्वारा खण्डवा जिले की जिला पंचायत सदस्य निर्वाचन क्षैत्र क्रमांक 02 के निर्वाचन हेतु ई.व्ही.एम. से मतदान दिनांक 27.01.2024 को संपन्न होना है।

आयोग के निर्देशानुसार जिला पंचायत क्षैत्र क्रमांक 02 के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में स्थित मतदान केन्द्रों को विभिन्न सेक्टर में विभाजित कर संलग्न तालिका मे क्रमांक 02 में उल्लेखित सेक्टर के लिये कॉलम नम्बर 03 में अंकित अधिकारी को सेक्टर अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

सेक्टर अधिकारी अपने सेक्टर में सम्मिलित समस्त ग्राम पंचायत/मतदान केन्द्रों जिनका उल्लेख तालिका क्रमांक 06 एवं 07 में अंकित है, का तत्काल निरीक्षण कर दिनांक 19.01.2024 तक ओके रिपोर्ट सहायक रिटर्निंग आफिसर खण्डवा को देना सुनिश्चित करेंगे तथा निर्वाचन की घोषणा से निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपने सेक्टर में निर्वाचन प्रबंधन के लिये आयोग के निर्देश अनुसार दायित्वों का निर्वहन किये जाने हेतु जिम्मेदार/उत्तरदायी होगे।

यह आदेश निर्वाचन समाप्ति तक प्रभावशील होगा।

(अनूप कुमार सिंह)
कलेक्टर,
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी

सेक्टर अधिकारी प्रस्ताव जिला पंचायत सदस्य निर्वाचन 2023 क्षैत्र क्रमांक 02 खण्डवा

क्र	सेक्टर का नाम	सेक्टर अधिकारी का नाम एवं पद	विभाग का नाम	सेक्टर में सम्मिलित ग्राम पंचायतों के नाम	सेक्टर में सम्मिलित मतदान केन्द्र	मो.नम्बर	सेक्टर में सम्मिलित मतदान केन्द्रों की कुल संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मुंदवाड़ा	श्री मनमीत मण्डराई, अनु. अधिकारी	जल संसाधन संभाग खण्डवा	मुदवाड़ा, पलकना,	89, 90, 91, 92, 93	98939 16080	5
2	नहाल्दा	श्री हरिमोहन सोनी, अनु. अधिकारी	जल संसाधन संभाग खण्डवा	नहाल्दा, बड़गॉवमाली, सतवाड़ा, सॉवखेड़ा	87, 88, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123	98263 43430	12
3	राई खुटवाल	श्री के.सी. वास्केल, उप संचालक	कृषि विभाग खण्डवा	राईखुटवाल, मछौण्डी रैयत, धरमपुरी, बैनपुर कुरवाड़ा, माथनी बुजुर्ग	82, 83, 84, 85, 86, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133,	96992 87155	13
4	अमलपुरा	श्री अनुपम गहोई, सहा.यंत्री	लो.स्वा.या.वि. खण्डवा	अमलपुरा, रूधी, भावसिंगपुरा, सिवना	124, 125, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141	97531 77321	10
5	भामगढ़	श्री जय पाटीदार, सहा.यंत्री	कार्य.यंत्री न.वि.स. क्र.13 खण्डवा	भामगढ़, रामपुरा	184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192	98911 48897	9
6	बोरगॉव खुर्द	श्री जगन्नाथ चौधरी, उपयंत्री	प्र.म.ग्रा.स.यो. खण्डवा	बोरगॉव खुर्द, कोरगला, रोशनाई, पांझरिया, सिरपुर	149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162	93032 72071	14

क्र	सेक्टर का नाम	सेक्टर अधिकारी का नाम एवं पद	विभाग का नाम	सेक्टर में सम्मिलित ग्राम पंचायतों के नाम	सेक्टर में सम्मिलित मतदान केन्द्र	मो.नम्बर	सेक्टर में सम्मिलित मतदान केन्द्रों की कुल संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
7	**बमनगॉव आखई**	श्री विवेक पाण्डेय, परियोजना प्रशासक	एकिकृत आदिम जाति क्षैत्रिय विकास परियोजनाए खण्डवा	बमनगॉव आखई, बड़गॉव गुर्जर, टिगरिया, लोहारी, तिरंदाजपुर	142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169	93032 72071	14
8	जसवाड़ी	श्री सजल उपाध्याय, सहा.यंत्री	लो.नि.वि. खण्डवा	जसवाडी, बैडियाव, हापला	170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183	79872 07716	14
9	रिजर्व	श्री पी.सी. पालीवाल, सहा.यंत्री	जल संसाधन संभाग खण्डवा			70004 89788	
10	रिजर्व	श्री ए.एस. सोलंकी, उपसंचालक कृषि (आत्मा)	कृषि विभाग खण्डवा			94257 68181	
11	रिजर्व	श्री मोहन वास्केल, अति.परि.अधिकारी	जिला पंचायत खण्डवा				

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला खण्डवा

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2024.